भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3177
दिनांक 09 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान भारत कार्ड

+3177. डॉ. मोहम्मद जावेद:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार राज्य में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) या आयुष्मान भारत योजना के उपयोग और परिणामों के आंकड़ों का ब्यौरा क्या है और इसमें शामिल लाभार्थियों/उपचार प्राप्त करने वालों की संख्या कितनी है तथा राज्य में स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच और वहनीयता पर इसका समग्र प्रभाव क्या है;
(ख) क्या यह सच है कि कैंसर/थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारियां आयुष्मान भारत कार्ड के अंतर्गत कवर नहीं होती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) बिहार राज्य में सूचीबद्ध अस्पतालों द्वारा लाभार्थियों से आयुष्मान भारत कार्ड स्वीकार करने से मना करने के मामलों का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है और ऐसे मुद्दों से संबंधित शिकायतों का समाधान किस प्रकार किए जाने की संभावना है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): बिहार राज्य में आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) को राज्य योजना मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना (एमएमजेएवाई) के अभिसरण में लागू किया गया है। इस एकीकृत योजना के तहत कुल 2.03 करोड़ परिवार स्वास्थ्य परिचर्या लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। दिनांक 30.06.2024 तक कुल 2.94 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं और 1338.16 करोड़ रुपये के 11.30 लाख अस्पताल दाखिलों को अधिकृत किया गया है, जिससे राज्य में स्वास्थ्य परिचर्या सेवा की वहनीयता

में सुधार हुआ है। इस योजना के तहत सेवाओं की पहुँच प्रदान करने के लिए, राज्य में 387 निजी अस्पतालों सहित कुल 972 अस्पताल पेनलबद्ध हैं।

(ख): कैंसर और थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारियों को एबी-पीएमजेएवाई के तहत कवर किया जाता है। कैंसर से संबंधित उपचार में मेडिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और पैलिएटिव केयर जैसी विशेषताओं में शामिल हैं। इसके अलावा, जनरल मेडिसिन और पीडियाट्रिक मेडिकल मैनेजमेंट में थैलेसीमिया के लिए 12 पैकेज हैं। नवीनतम राष्ट्रीय मास्टर स्वास्थ्य लाभ पैकेज (एचबीपी 2022) में, यह योजना मधुमेह, हृदय रोग और अन्य गैर-संचारी रोगों जैसी पुरानी बीमारियों सहित 27 विभिन्न चिकित्सा विशेषताओं के तहत कुल 1,949 प्रक्रियाओं के अनुरूप उपचार प्रदान करती है।

(ग): उन मामलों को हल करने के लिए निम्नलिखित शिकायत निवारण तंत्र मौजूद हैं जहां सूचीबद्ध अस्पताल एबी-पीएमजेएवाई कार्ड स्वीकार करने से इनकार करते हैं:

i. जिला स्तर: जिला शिकायत निवारण समिति (डीजीआरसी) जिला स्तर पर शिकायतों से निपटने के लिए नोडल प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है।
ii. राज्य स्तर: राज्य शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी) और राज्य अपीलीय प्राधिकरण (एसएए) राज्य स्तर पर शिकायतों के निवारण के लिए जिम्मेदार हैं।
iii. अंतिम अपील: राज्य अपीलीय प्राधिकरण (एसएए) सभी शिकायतों के समाधान के लिए अंतिम अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, चाहे वे सीधे प्राप्त हुई हों या एसजीआरसी द्वारा आगे बढ़ाई गई हों।

लाभार्थी वेब-आधारित पोर्टल केंद्रीयकृत शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली (सीजीआरएमएस), सेंट्रल और स्टेट कॉल सेंटर, ईमेल, राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों(एसएचए) को पत्र आदि सहित विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उपचार में देरी या इनकार से संबंधित शिकायतों को प्राथमिकता दी जाती है। जिला टीम शिकायत की जांच करती है और सुनिश्चित करती है कि लाभार्थियों को उपचार प्राप्त करने में किसी भी चुनौती का सामना न करना पड़े। दर्ज की गई शिकायतों की स्थिति और उनके समाधान की निगरानी राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इसके अलावा, जिला कार्यान्वयन इकाइयों के निष्कर्षों के आधार पर, एसएचए दोषी अस्पतालों के खिलाफ़ दंडात्मक कार्रवाई करते हैं जिसमें उन्हें पैनल से बाहर करना भी शामिल है।

*****